



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2009/भाद्र 9, 1931

No. 489]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2009/BHADRA 9, 1931

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 624(अ).—भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) की धारा 1 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, 1 सितम्बर, 2009 को वह तिथि निश्चित करती है जिस तिथि से उक्त अधिनियम के अध्याय-III और अध्याय VI के प्रावधान लागू माने जायेंगे।

[फा. सं. एवी-20036/61/2008-एएआई]

आलोक सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 894(अ) दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 के तहत जारी भारतीय आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के सभी प्रावधान 1 जनवरी, 2009 से प्रभावी होंगे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2009

G.S.R. 624(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (No. 27 of 2008), the Central Government appoints the 1st day of September, 2009, as the date on which the provisions of Chapter III and Chapter VI of the said Act shall come into force.

[F. No.-AV. 20036/61/2008-AAI]

ALOK SINHA, Jt. Secy.

Note: All other provisions of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 came into force on 1st January, 2009, vide notification of Government of India in the Ministry of Civil Aviation number G.S.R. 894(E), dated the 30th December, 2008.